राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2151/2011/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त–प्रथम, भिवाडी। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आस्था सीमेन्ट प्रा0लि0, बहरोंड। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री डी.पी.ओझा, डीजीए .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.05.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 90/सीएसटी/2009–10/उपा/अपील्स/अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भिवाडी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत भिवाडी द्वारा दिनांक 05.09.2006 को प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा चैकपोस्ट शाहजहांपुरा से प्राप्त प्रत्यर्थी के बिलों का मिलान प्रत्यर्थी द्वारा संधारित रजिस्ट्रर से करने पद दिनांक 01.04.2006 से 30.06.2006 तक की अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिल नं0 का मिलान विक्रय रजिस्टर से नहीं हो पाया, चैकपोस्ट शाहजहांपुरा से प्राप्त 74 बिलों में अंतिम बिल नं0 264 दिनांक 30.06.2006 का जारी है तथा इन 74 बिलों का कुल विक्रय मूल्य रू0 12,91,500/– है एवं प्रति बिल औसत विक्रय मूल्य रू0 17,450/– आता है। कर निर्धारण अधिकारी ने औसत बिल के आधार पर कुल रू0 46,71,700/– की अन्तर्राज्यीय बिक्री आंकी जाकर इस पर 12.5 प्रतिशत से कर रू0 5,80,213/–, ब्याज रू0 25,723/– तथा धारा 61 के अधीन शास्ति रू0 11,60,426/– आरोपित की। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में नियमित बिल बुकों से जारी बिलों में घोषित कुल अन्तर्राज्यीय बिक्री रू0 19,23,300/– पर 12.5 प्रतिशत से कर रू0 2,40,413/– एवं ब्याज रू0 10,659/– आरोपित करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। उपायुक्त (अपील्स) ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2007 के द्वारा प्रकरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उपायुक्त (अपील्स), भरतपुर के निर्देशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का सम्पूर्ण वर्ष 2006–07 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दिनांक 24.03.2009 को पारित किया जाकर आलौच्य अवधि मं नियमित बिल बुकों से की गई सीमेण्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री रू0 21,13,496/– पर 12.5 प्रतिशत से कर रू0 2,64,187/– आरोपित किया गया तथा नियमित बिल बुक के अलावा अन्य समानान्तर बिल बुकों से की गई करपवंचित बिक्री रू0 12,91,500/– पर 12.5 प्रतिशत से कर

लगातार.....2

रू0 1,61,438/– आरोपित करते हुए कुल कर रू0 4,25,625/– आरोपित किया गया तथा विलम्ब से जमा कराये गये कर रू0 2,64,187/– पर ब्याज रू0 370/– एवं अवशेष कर रू0 1,61,438/– पर ब्याज रू0 48,430/– लगाते हुए कुल ब्याज रू0 48,800/– आरोपित किया गया। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में नियमित बिल बुकों के अलावा अन्य समानान्तर बिल बुकों से रू0 12,91,500/– की सीमेण्ट की बिक्री की जाकर करापवंचन किये जाने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति रू0 3,22,876/– आरोपित करते हुए कुल मांग राशि रू0 7,97,301/– कायम की गई, जिसमें प्रत्यर्थी पर करापवंचित बिक्री रू0 12,91,500/– पर 12.5 प्रतिशत से आरोपित कर रू0 1,61,438/– एवं ब्याज रू0 48,800/– तथा अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति रू0 3,22,876/– आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों क़ी बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.01.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 30.05.2011 को पारित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने के फलस्वरूप खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस
(iii) सीटीओ बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

5. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

6. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576**
(ii) वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79** । (आर.टी.टी.)

7. राजस्व की बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में **दिनांक 30.05.2011** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

8. परिणामतः अपील सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

12.5.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष